न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 14 / 2018

रामस्वरुप पुत्र परमा जाति कछवाया निवासी बतई तहसील रुपवास जिला भरतपुर
.....प्रार्थी0

बनाम

1–मुखत्यारसिह पुत्र भूरिया
2–विमला पत्नी मुख्त्यारसिह
3–सुरेन्द्र पुत्र मुख्त्यारसिह
4–रिन्कू पुत्र मुख्त्यारसिह
जाति गुर्जर निवासी खोहरी तहसील रुपवास जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम बमुकदमा विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी रुपवास बाबत मुकदमा रामस्वरुप बनाम मुख्त्यारसिंह वगे0 170 / 2017, एवं प्रार्थना पत्र आरटीएक्ट धारा 212 न0 200 / 2017

उपस्थितः–
1–श्री दिनेश शर्मा अभिभाषक प्रार्थी
2–श्री गंगाराम शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय दिनांक 17.4.2018

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि उपसेक्त उनवानी एक दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा धारा 188 आरटीएक्ट उपखण्ड अधिकारी रुपवास के न्यायालय में विचाराधीन है। एस.डी.ओ. रुपवास ने प्रार्थी के वकील साहब से कहा कि प्रकरण में दबाब है, इस दावा में निर्णय अप्रार्थीगण के पक्ष में करुंगा। दिनांक 12.2.2018 अप्रार्थी नम्बर एक को पीठासीन अधिकारी से चैम्बर से निकलते हुये देखा है। प्रार्थी को स्पष्ट हो गया है कि पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। एस.डी.ओ. रुपवास के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। एस.डी.ओ.रुपवास से टिप्पणी तलब की गई। एस.डी.ओ.रुपवास से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई।

योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि। एस.डी. ओ.रुपवास प्रार्थी के प्रकरण में अनावश्यक रुचि ले रहे हैं। अप्रार्थी0 भी राजनेतिक दबाब बनाये हुये हैं। प्रार्थी को एस.डी.ओ. रुपवास से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्को में जाहिर किया कि प्रार्थी ने गलत आरोप लगाये हैं। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। एस.डी.ओ.रुपवास से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने न्याय के प्रति शंका जाहिर की है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है।

अतः आदेश है कि :—

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। एस.डी.ओ.रुपवास के न्यायालय में विचाराधीन दावा रामस्वरुप बनाम मुख्त्यारसिह वगे. न0 170/2017 एवं प्रार्थना पत्र प्रकरण सख्या 200/2017 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के यहॉ मुन्तकिली किया जाता है। निर्णय की प्रति एस.डी.ओ.रुपवास एवं एस.डी. ओ. बयाना को प्रेषित हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 17.4.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर